संख्याः-34/2021/38-6002(099)/1/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0ए लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक. 13 सितम्बर, 2021

विषयः- बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 (अनु0जाति मद) में बजट आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्रांक-जी0ओ0-128/कार्य0अनु0/एवीआरवाई-लक्ष्य निर्धारण/2021, दिनांक 17 अगस्त, 2021 एवं पत्रांक-583/कार्य0अनु0/एवीआरवाई/बजट मांग/2021-22 दिनांक 15 जुलाई, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना (शत-प्रतिशत राज्य पोषित) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 (अनु0जाति मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष कुल भौतिक लक्ष्य 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृति के अनुरूप अनुदान अंतर्गत रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय के संबंध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये स्वीकृत की गई धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य हेतु लाभार्थी को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है उस कार्य हेतु लाभार्थी को पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइडलाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय में योजना विषयक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जाएगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक " 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-अम्बेडकर रोजगार योजना-27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के आशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-981/दस-2021 दिनांक 07.09.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-/नियोजन अनुभाग.4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।